न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 1432 / 2005 / भरतपुर

रूजदार पुत्र बनेसिंह जाति मेव निवासी ग्राम धानोता तहसील नगर जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

असरू पुत्र रूस्तम जाति मेव निवासी ग्राम धानोता तहसील नगर जिला भरतपुर।

..... प्रत्यर्थी

खण्ड–पीठ
डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थित :
श्री राजेश गौतम, अभिभाषक अपीलार्थी
रेस्पो0 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 24–12–2025

1– यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 112 / 02 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10–12–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विद्वान उपखण्ड अधिकारी नगर के न्यायालय में अपीलार्थी प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम धानौता तहसील नगर के साबिक आरजी खसरा नम्बर 304 / 1.10, 305 / 3.17 पर वादी बहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त साबिक खसरा नम्बर 304 / 1.10, 305 / 3.17 से हाल खसरा नम्बर 366 / 0.22, 367 / 0.48 बने हैं। दौराने सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने गलत से हाल खसरा नम्बर 366 / 0.22 पर प्रतिवादी का नाम खिलाफ मौका व कानून दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रतिवादी का वादी की

कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार वादी को विवादित आराजी खसरा नम्बर 366/0.22 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। उक्त वाद प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी प्रतिवादी को बिना विधिवत नोटिस तामील करवाए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर ने एकपक्षीय निर्णय दिनांक 08–7–2002 द्वारा वादी का दावा डिक्री कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 10–12–2004 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अपीलार्थी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज चला आ रहा है जो उसके द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2023 से 2026 से स्पष्ट है। अपीलार्थी ने विवादित भूमि पर बैंक से उसका स्वत्व व अधिकार होने के कारण ऋण लिया है एवं जमीन बैंक के यहां नामान्तकरण संख्या 262 से रहन दर्ज है। दौराने अपील पक्षकारों के मध्य अपीलीय न्यायालय में राजीनामा दिनांक 24–1–2004 को हो गया था एवं राजीनामें के अनुसार हाल खसरा नम्बर 366 रकबा 0.22 हैक्टर का खातेदार काश्तकार प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को होना स्वीकार किया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी अपनी स्वीकारोक्ति से बाध्य है। अपीलीय न्यायालय को राजस्व रिकॉर्ड व राजीनामे के अनुसार अपील का निस्तारण करना चाहिए था। अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी का प्रस्तुत कर दस्तावेज पेश किया था किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र व दस्तावेज पर कोई निर्णय नहीं देकर सरसरी तौर पर अपील को निरस्त करने में भूल की है। अपीलार्थी विवादित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा खसरा नम्बर 366 का किसी भी हिस्से पर प्रत्यर्थी का कब्जा काश्त व स्वत्व नहीं है। अपीलीय न्यायालय ने सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अतः दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे।

5– हमने अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों व अभिलेख का गहनता से आद्योपांत अध्ययन किया।

6— विचारण न्यायालय तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय दोनों द्वारा ही मुख्यतः इस आधार पर प्रत्यर्थी वादी असरू का पक्ष स्वीकार योग्य होना माना है कि विवादित भूमि साबिक नम्बर 304 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा जमाबन्दी सम्वत् 2023 लगायत 2026 में सिर्फ असरू के ही नाम दर्ज थी तथा इस आधार पर इसके नये नम्बर में वक्त सेटलमेंट रूजदार का नाम गलत दर्ज कर दिया गया। दावे में प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत् 2023 से 2026 में खसरा नम्बर 304 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा हेतु असरू खातेदार दर्ज है। लेकिन विचारण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध रूजदार द्वारा प्रस्तुत अपील में उसके द्वारा प्रस्तुत पक्ष व जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2026 की छाया प्रति अनुसार खसरा नम्बर 304 के ही अन्य दर्ज 1 बीघा 1 बिस्वा रकबे पर रूजदार भी खातेदार दर्ज है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में उक्त दस्तावेज आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार करने पश्चात भी उनके द्वारा अपने निर्णय में इस दस्तावेज पर कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। मातहत अपीलीय न्यायालय में पक्षकारान द्वारा दिनांक 24—1—2004 को राजीनामा पेश किया गया, जिस पर पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने का पृष्ठांकन दर्ज है। राजीनामें पर पक्षकारान व उनके अभिभाषकगणों की निशानी/हस्ताक्षर अंकित हैं। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा राजीनामें का प्रमाणन न होने का विनिश्चय पुष्ठ व पर्याप्त होना प्रतीत नहीं होता है। समस्त विवेचन अनुसार प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्तनीय होकर प्रकरण परीक्षण न्यायालय द्वारा पुर्नपरीक्षण योग्य है।

7— अतः विवेचन अनुसार हस्तगत अपील अंशतः स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर एवं उपखण्ड अधिकारी नगर का निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 10—12—2004 तथा दिनांक 08—7—2002 अपास्त किया जाता है। प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि निर्णय के पैरा संख्या 6 अनुसार दोनों पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण में तथ्यों एवं साक्ष्यों का गुणावगुण पर विश्लेषण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का प्राप्त अभिलेख उपखण्ड अधिकारी नगर को प्रेषित किया जावे।

निर्णय सुनाया गया ।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य